

वर्कमैन ऑफ मोतीपुर शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

मोतीपुर शुगर फैक्ट्री

30 मार्च 1965

(पी.बी. गजेन्द्रगढकर, सी.जे. के.एन. वांचू, एम हिदायतुल्ला और सी.वी.

रामास्वामी जे.जे)

औद्योगिक विवाद - धीमी गति से काम करने के कारण श्रमिकों का निष्कासन - संदर्भ कि क्या निष्कासन न्यायोचित था - न्यायाधिकरण, यदि धीमी गति से काम करना निर्णित कर सकता - निष्कासन से पूर्व कोई जांच नहीं - यदि न्यायाधिकरण के समक्ष निष्कासन न्यायोचित हो सकता।

प्रत्यर्थी के श्रमिकों ने उसके चीनी कारखाने में धीमी गति से काम करना शुरू किया। इसलिए प्रत्यर्थी ने एक जनरल नोटिस उन सभी श्रमिकों एवं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक श्रमिक को यह सूचित करते हुए जारी किया कि यदि वह अपने कर्तव्यों को एक निश्चित निम्न उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से ईमानदारी व दक्षता से निर्वहन करने के लिए अपनी इच्छा को दर्ज नहीं करता तो उसे और अधिक नियोजित नहीं रखा जाएगा और कि उसे एक निश्चित समय तक कार्यालय में अपनी इच्छा दर्ज करनी आवश्यक है अन्यथा ऐसा करने में विफल रहने पर उसे बिना किसी आगामी नोटिस

के सेवा प्रत्यर्थी की से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्योंकि याचिकाकर्ता जो ऐसे 119 श्रमिक थे, अपनी इच्छा दर्ज करने में विफल रहे तो प्रत्यर्थी ने उन्हें उनकी सेवाओं का निष्कासन करते हुए एक नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों को सेवाओं से मुक्त करने से पूर्व स्थायी आदेशों की आवश्यकतानुसार किसी प्रकार की जांच नहीं करवाई। तत्पश्चात एक सामान्य हड़ताल हुई जिसके परिणामस्वरूप दोनों ही पक्षों ने एक संयुक्त प्रार्थना पत्र सरकार को प्रेषित किया और सरकार ने इस प्रश्न को कि क्या श्रमिकों का निष्कासन न्यायोचित था, न्यायाधिकरण को संदर्भित किया। न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस अवधि के दौरान काम करने की गति धीमी थी और परिणामस्वरूप यह अभिनिर्णित किया गया कि श्रमिकों का निष्कासन पूर्णरूपेण न्यायोचित था। विशेष अनुमति (स्पेशल लीव) के जरिये याचिका में याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि (1) न्यायाधिकरण को मात्र यह निर्णित करना था कि क्या श्रमिकों का वचन न देने के कारण उनका निष्कासन न्यायोचित था या नहीं, और कि यह न्यायाधिकरण के निर्णय का हिस्सा नहीं था कि वह यह निर्णित करे कि काम की गति धीमी थी, जो निष्कासन के आदेश को न्यायोचित करे। (2) चूंकि प्रत्यर्थी ने स्थायी आदेशों की आवश्यकतानुसार किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की, इसलिए यह न्यायाधिकरण के समक्ष निष्कासन को न्यायोचित नहीं ठहराता और (3) न्यायाधिकरण का यह पता लगाना कि काम की धीमी गति को साबित किया गया था, यह विकृत था और न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष तक पहुंचने में प्रासंगिक साक्ष्य की उपेक्षा की।

अभिनिर्धारित: तर्कों को खारिज किया जाए।

(1) संदर्भों के व्यापक शब्दों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष जिस ढंग से इसे समझा गया और यह तथ्य कि इसे दो नोटिसों के साथ पढा जाए, क्योंकि विशेष रूप से इसे ठीक बाद में दोनों पक्षों के संयुक्त आवेदनों पर उठाया गया, न्यायाधिकरण को दोनों पक्षों के बीच वास्तविक विवाद की जांच करने का अधिकार था अर्थात् क्या निष्कासन इस आधार पर न्यायोचित था कि धीमी गति से काम करने के रूप में यह सम्बन्धित श्रमिकों का दुर्व्यवहार था (596 डी)

(2) जब घरेलू जांच अवैध होती है ऐसे मामले और वे मामले जहां कोई जांच वास्तव में नहीं की जाती इन दोनों मामलों में अंतर नहीं किया जा सकता।

इस न्यायालय ने यह लगातार अभिनिर्धारित किया है कि यदि घरेलू जांच अनियमित, अवैध या अनुचित है तो न्यायाधिकरण नियोक्ता को अपना मामला साबित करने का अवसर दे सकता है और ऐसा करने में न्यायाधिकरण स्वयं गुणों का प्रयास कर सकता है। (598 ए-सी)

मामले में विधि का संदर्भ दिया गया -

(3) चूंकि मामले में 119 श्रमिकों का निष्कासन शामिल था, यह न्यायालय साक्ष्य की तरफ गया और साक्ष्य ने यह प्रदर्शित किया कि न्यायाधिकरण का निर्णय गलत नहीं था कि धीमी गति से काम हुआ था और कि निष्कासन पूर्ण रूप से न्यायोचित था। (598 ई)

1961 के संदर्भ संख्या 4 में औद्योगिक न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के 11 मई 1962 के फैसले से विशेष अनुमति द्वारा याचिका।

रानेन राँय, जय कृष्णा, जी.एस. चटर्जी, ई. उदयरत्नम वास्ते ए.के. नाग एवं याचिकाकर्ता।

निरेन दे, अतिरिक्त महाधिवक्ता और नौनित लाल वास्ते प्रत्यर्थी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

न्यायमूर्ति वांचू द्वारा - यह औद्योगिक न्यायाधिकरण, बिहार के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा एक याचिका है। यह प्रत्यर्थी के 119 श्रमिकों की निष्कासन से संबंधित है जो गन्ना वाहक मजदूर या गन्ना वाहक पर्यवेक्षकों या जमादार के रूप में कार्यरत थे। ये सभी मौसमी श्रमिक थे। निष्कासन की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को कुछ विस्तार से बताना आवश्यक है। प्रत्यर्थी एक चीनी कारखाना है और पेराई सत्र आमतौर पर हर साल नवंबर के पहले पखवाड़े में शुरू होता है। हमें वर्तमान याचिका में नवंबर और दिसंबर 1960 पर विचार करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1956-57 मौसम से प्रत्यर्थी ने कारखाने में एक प्रोत्साहन बोनस योजना शुरू की थी। इसके बाद यह योजना कुछ बदलावों के साथ मौसम दर मौसम जारी रही। ऐसा भी प्रतीत होता है कि प्रत्येक सीजन की शुरुआत में प्रत्यर्थी प्रोत्साहन बोनस योजना को सामने रखता था और

श्रमिकों से परामर्श करता था। यही काम तब किया गया था जब नवंबर 1960 में 1960-61 की सीजन शुरू होने वाली थी। लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तावित इस सीजन की योजना में कुछ बदलाव थे जो स्पष्ट रूप से श्रमिकों को स्वीकार्य नहीं थे। योजना की एक विशेषता यह थी कि प्रतिदिन गन्ने की पेराई 32,000 मन होनी चाहिए। श्रमिक संघ के महासचिव ने 7 नवंबर, 1960 को प्रत्यर्थी के विचार के लिए निश्चित बदलावों का सुझाव दिया और सुझाए गए मुख्य बदलावों में से एक यह था कि प्रतिदिन पेराई का मानक 1,25,000 मन गन्ना होना चाहिए और उसके बाद प्रोत्साहन बोनस एक निश्चित दर पर दिया जाना चाहिए। प्रोत्साहन बोनस योजना पर कोई समझौता नहीं हुआ होना प्रतीत होता है और प्रत्यर्थी की शिकायत यह थी कि सचिव ने योजना में बदलाव के परिणामस्वरूप श्रमिकों को धीमी गति से काम करने के लिए उकसाया था। परिणामस्वरूप गन्ने के वाहक विभाग में जो चीनी कारखाने में बुनियादी विभाग है हल्की धीमी गति 10 नवंबर, 1960 को सीजन की शुरुआत से ही शुरू हो गई। एल/पी(एन)4 एससीआई प्रत्यर्थी का मामला आगे 27 नवंबर 1960 को इस प्रकार था कि गन्ना वाहक विभाग के श्रमिकों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर जानबूझकर और स्वेच्छया योजनाबद्ध तरीके से धीमी गति से काम करना शुरू कर दिया और इस तरह औसत दैनिक पेराई को 26,000 मन गन्ने तक कम कर दिया जो पिछले मौसम में औसत पेराई से बहुत कम था। श्रमिकों के इस आचरण को प्रत्यर्थी के लिए अत्यधिक प्रतिकूल बताया गया था और तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के अलावा ईंधन की स्थिति

में तीव्र कमी को अस्तित्व में ला दिया था जिसके परिणामस्वरूप कारखाना पूरी तरह से बंद हो सकता था और मशीनरी में बड़ा व्यवधान हो सकता था। जब स्थिति गंभीर हो गई तो प्रत्यर्थी ने 15 दिसंबर 1960 को एक सामान्य नोटिस संबंधित श्रमिकों का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए जारी किया, जो 27 नवंबर 1960 से किसी भी दर पर जारी रहा था। यह नोटिस निम्नलिखित शब्दों में था:-

“आपके संघ के महासचिव श्री जे.कृष्णा के उकसाने पर आपने इस मौसम की शुरुआत से ही गन्ना वाहक में गन्ने को पर्याप्त और नियमित लादना सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं और आपने 27 नवंबर 1960 से एक-दूसरे के साथ मिलकर जान-बूझकर और स्वेच्छया स्पष्ट धीमी गति से काम करने की रणनीति का सहारा लिया है यह तथ्य 6 दिसंबर 1960 को सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में इस विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान श्रम अधीक्षक और श्रम अधिकारी मुजफ्फरपुर की उपस्थिति में उपरोक्त नामित आपके संघ के महासचिव द्वारा खुले तौर पर स्वीकार किया गया है। आपने जानबूझकर औसत दैनिक पेराई को न्यूनाधिक 26,000 मन तक कर दिया है जिसमें से 2,000 मन से अधिक रात के दौरान तौली जाने वाली गन्ना गाड़ियों के द्वारा गन्ना वाहक को सीधे भरने के शुरू किये गये नये यंत्र के कारण है और इसमें आपका किसी भी प्रकार का प्रयास शामिल नहीं है। इस प्रकार आपके द्वारा दी गई वास्तविक पेराई व्यावहारिक रूप से 23,000 और 24,000 मन के बीच ही

है जो प्रतिदिन 1,200 टन से अधिक की स्थापित पेराई क्षमता वाले इस कारखाने के लिए बेहद अलाभकारी और तकनीकी रूप से असुरक्षित है।“

“स्कन्ध (स्टॉक) में रखी अतिरिक्त खोई की लगभग 14,000 गांठें पिछले 12 या इतने ही दिनों में ही खप चुकी हैं और अब कारखाने को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जब किसी भी समय खोई के ईंधन की कमी के कारण इसकी भट्टियों में भाप की कमी हो सकती है जो कारखाने के अचानक बंद होने की ओर जाने और अंततः यंत्रों (मशीनरी) में भारी व्यवधान होने का परिणाम बन सकती है।

“इसलिए यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि आप स्वेच्छा से अधिक लादे जाने या कम लादे जाने के कारण होने वाली रूकावट को छोड़कर, गन्ना वाहक (केन केरियर) को भरकर न्यूनतम औसत दैनिक पेराई 32,000 मन प्रदान करते हुए ईमानदारी और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा दर्ज नहीं करते हैं तो गन्ना वाहक के रूप में आपको अब कंपनी द्वारा नियोजित नहीं माना जाएगा। आपको शनिवार 17 दिसंबर 1960 को शाम 4 बजे या उससे पहले कारखाना प्रबंधक के कार्यालय में अपनी इच्छा दर्ज करनी होगी अन्यथा आपको 18-12-1960 से बिना किसी अतिरिक्त सूचना के कंपनी की सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा और गन्ना वाहक स्टेशन पर अन्य श्रमिकों की भर्ती करके आपकी जगह भर दी जाएगी।

यह सूचना हिंदी और उर्दू में अनुवाद के साथ सूचना-पट्ट पर लगा दी गई और गन्ना वाहक विभाग में श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से भी भेज दी गई। एक प्रति संबंधित श्रमिकों के साथ संघ के सचिव को भी संबंधित श्रमिकों को या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से संघ के माध्यम से प्रश्नगत नोटिस में प्रत्यर्थी द्वारा वांछित उनकी इच्छा प्रस्तुत करने के लिए भेजी गई थी। संघ के सचिव ने उसी दिन इस नोटिस का जवाब दिया और कहा कि “यह दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठे और शरारती बयानों से भरा हुआ था। “ सचिव ने इस बात से भी इनकार किया कि श्रमिकों ने धीमी गति से काम करने की रणनीति अपनाई थी या कि उसने श्रमिकों को ऐसी रणनीति अपनाने की सलाह दी थी। अंत में सचिव ने कहा कि एक श्रमिक से प्रतिदिन कम से कम 32,000 मन पेराई करने का वचन लेना बहुत ही शानदार है और यदि वचन न देने पर किसी श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी गई, तो जिम्मेदारी स्वयं प्रत्यर्थी की होगी। प्रत्यर्थी का मामला यह था कि तीन श्रमिकों ने नोटिस में अपेक्षित वचन दिए जबकि बाकी ने नहीं दिए। इसके बाद कारखाने में स्थिति खराब हो गई और श्रमिक अधिक से अधिक अनियंत्रित हो गए और यहां तक कि अपनी उपस्थिति का टोकन लिए बिना ही कारखाने में प्रवेश करना शुरू कर दिया। श्रमिकों के इस रवैये के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी ने 17 दिसंबर 1960 को शाम 5 बजे एक नोटिस जारी किया जो निम्नलिखित शब्दों में था:-



“गन्ना वाहक स्टेशन के निम्नलिखित श्रमिक जो प्रबंधन के नोटिस दिनांक 15-12-1960 के अनुसार उनकी ईमानदारी और लगन से काम करने के लिए इस दिन 17 दिसंबर 1960 को शाम 4 बजे तक कारखाना प्रबंधक के कार्यालय में अपनी इच्छा दर्ज करने में विफल रहे, वे कम्पनी की सेवा से निष्कासित हैं और कंपनी की सेवा रोल से उनके नाम 18 दिसंबर 1960 से हटा दिए गए हैं। अब से संबंधित श्रमिकों ने अपने पूर्व कार्यस्थल पर जाने और उस पर कार्यग्रहण करने का अधिकार खो दिया है और उनकी ओर से इसके विपरीत की गई कोई भी कार्रवाई उन्हें आपराधिक अतिचार के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी बनायेगी।”

“उनका अंतिम खाता 19 दिसंबर 1960 को शाम 4 बजे तक भुगतान के लिए तैयार हो जाएगा जब या जिसके बाद वे अपनी मजदूरी और अन्य बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी के कार्यालय में काम के घंटों के दौरान उपस्थित हो सकते हैं और फिर गन्ना वाहक विभाग के 119 श्रमिकों के नामों का उल्लेख करता है।

इस प्रकार इस नोटिस के तहत संबंधित श्रमिकों की सेवाएं 18 दिसंबर 1960 से निष्कासित कर दी गईं। तत्पश्चात् 17 दिसंबर 1960 को संघ द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से दिए गए नोटिस के अनुसरण में एक आम हड़ताल की गई। यह हड़ताल 22 दिसंबर 1960 तक जारी रही जब एक समझौते के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि निष्कासित किए गए श्रमिकों का मामला और हड़ताल अवधि के लिए मजदूरी का प्रश्न न्यायिक

निर्णयन के लिए भेजा जाए। परिणामस्वरूप 21 दिसंबर, 1960 को दोनों पक्षों द्वारा एक संयुक्त आवेदन सरकार को दिया गया। तब सरकार ने 25 जनवरी 1961 को न्यायाधिकरण को निम्नलिखित दो प्रश्नों का संदर्भ दिया:-

1. क्या परिशिष्ट में उल्लिखित श्रमिकों का निष्कासन न्यायोचित था। यदि नहीं, तो क्या उन्हें पुनः बहाल किया जाना चाहिए और/या क्या वे किसी अन्य राहत के हकदार हैं?
2. क्या श्रमिकों को 18 दिसम्बर 1960 को 16 घण्टों की अवधि से 22 दिसम्बर 1960 को 8 घण्टे तक के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाए ?

यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने संबंधित श्रमिकों को सेवाओं से विमुक्त करने से पहले स्थायी आदेशों के अनुसार कोई पूछताछ नहीं की थी। इसलिए जब मामला न्यायाधिकरण के सामने गया तो इस प्रश्न का प्रयास किया गया कि क्या 27 नवंबर 1960 और 15 दिसंबर 1960 के बीच काम करने की कोई धीमी गति थी। प्रत्यर्थी ने सबूत पेश किए जो मुख्य रूप से दस्तावेजी थे और मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए कि इस अवधि के दौरान संबंधित श्रमिकों द्वारा वास्तव में धीमी गति से काम किया गया था कारखाने के पिछले प्रदर्शन पर आधारित थे। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने भी प्रत्यर्थी के रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि गन्ना वाहक विभाग गन्ना पेराई के संबंध

में अतीत में जो हुआ था उसके अनुसार सामान्य काम कर रहा था। इस प्रकार न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए प्रासंगिक आँकड़ों और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर भी इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या इस अवधि के दौरान कोई धीमी गति थी या नहीं। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस अवधि के दौरान धीमी गति थी। परिणामस्वरूप इसने अभिनिर्धारित किया कि श्रमिकों का निष्कासन पूरी तरह से न्यायोचित था। इसलिए इसने इसे संदर्भित पहले प्रश्न का उत्तर प्रत्यर्थी के पक्ष में दिया। हड़ताल की अवधि के लिए मजदूरी के संबंध में दूसरा प्रश्न याचिकाकर्ताओं की ओर से नहीं उठाया गया था और इसलिए इसे उनके खिलाफ निर्णित किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता इस न्यायालय में आये और विशेष अनुमति प्राप्त की और इस तरह ये मामला हमारे सामने आया है।

हम वर्तमान याचिका में केवल पहले प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, जो न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने याचिका के समर्थन में हमारे सामने तीन मुख्य तर्कों को उठाया है। प्रथम स्थान पर यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधिकरण ने संदर्भ के दायरे के बारे में स्वयं को दिग्भ्रमित किया था और न्यायाधिकरण को केवल यह तय करना था कि क्या वचन न देने के लिए श्रमिकों का निष्कासन न्यायोचित था या नहीं और यह कि यह तय करना न्यायाधिकरण के कर्तव्य का हिस्सा नहीं था कि क्या प्रासंगिक तिथियों के

बीच कोई धीमी गति थी जो निष्कासन के आदेश को न्यायोचित ठहराती हो। दूसरा यह आग्रह किया गया है कि प्रत्यर्थी ने संबंधित श्रमिकों को कोई आरोप-पत्र नहीं दिया था और स्थायी आदेशों की आवश्यकतानुसार कोई जांच नहीं की थी। इसलिए प्रत्यर्थी के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष निष्कासन को न्यायोचित ठहराना खुला नहीं था, और न्यायाधिकरण के पास धीमी गति से संबंधित प्रश्न के गुणों पर जाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अंत में यह आग्रह किया जाता है कि न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि धीमी गति को साबित किया गया है, विकृत था और न्यायाधिकरण ने उस निष्कर्ष पर पहुंचने में प्रासंगिक सबूतों को नजरअंदाज कर दिया था। हम इन तर्कों पर सिलसिलेवार विचार करेंगे।

दोबारा (1)..

हमने पहले ही संदर्भ की प्रासंगिक अवधि निर्धारित कर दी है और यह देखा जाएगा कि यह शब्दों में व्यापक और सामान्य है और न्यायाधिकरण से यह तय करने के लिए कहता है कि क्या संबंधित श्रमिकों का निष्कासन न्यायोचित था या नहीं। यह उन आधारों का उल्लेख नहीं करता है जिन पर निष्कासन आधारित था और आधारों की जांच करना न्यायाधिकरण के लिए है कि क्या वे आधार निष्कासन को न्यायोचित ठहराते हैं या नहीं। इसलिए यदि न्यायाधिकरण को पता चलता है कि निष्कासन संबंधित श्रमिकों द्वारा धीमी गति का उपयोग करने की रणनीति के कारण था तो यह इस प्रश्न की जांच करने हेतु अधिकृत होगा

कि क्या श्रमिकों द्वारा धीमी गति की रणनीति का प्रयोग साबित किया गया था या नहीं।

लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि 17 दिसंबर का नोटिस निष्कासन का कारण प्रदान करता है और न्यायाधिकरण केवल उस नोटिस तक ही सीमित है और उसे इस पर विचार करना है कि क्या उस नोटिस में निष्कासन के लिए दिया गया कारण न्यायोचित है। हमने पहले ही वह नोटिस निर्धारित कर दिया है और यह निश्चित रूप से कहता है कि नोटिस के नीचे उल्लिखित श्रमिक 15 दिसंबर 1960 के प्रत्यर्थी के नोटिस के अनुसार ईमानदारी और लगन से काम करने की अपनी इच्छा दर्ज करने में विफल हो चुके थे और इसलिए उन्हें प्रत्यर्थी की सेवाओं से निष्कासित कर दिया गया और उनके नाम 18 दिसंबर, 1960 से रोल से हटा दिए गए थे। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि संबंधित श्रमिकों के निष्कासन का कारण धीमी गति से काम करना नहीं था बल्कि ईमानदारी एवं लगन से काम करने की उनकी इच्छा को दर्ज करने में विफलता थी। इसलिए न्यायाधिकरण को यह देखना था कि क्या श्रमिकों के निष्कासन का यह कारण न्यायोचित था और इससे परे जाने और धीमी गति के प्रश्न की जांच करने का उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

हमारी राय है कि इस तर्क में कोई दम नहीं है। इस प्रश्न के अलावा कि न्यायाधिकरण के समक्ष दोनों पक्ष धीमी गति के प्रश्न पर गए थे और दोनों पक्षों की ओर से या तो धीमी गति को साबित करने या इसे

नासाबित करने के लिए भारी सबूत पेश किए गए थे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें यह मानने के लिए बहुत अधिक तकनीकी दृष्टिकोण चाहिए होगा कि निष्कासन केवल श्रमिकों द्वारा वचन देने में विफलता के कारण था और धीमी गति का निष्कासन से कोई लेना-देना नहीं था। हमारी राय है कि 15 दिसंबर और 17 दिसंबर के दो नोटिस को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और यह पता लगाया जा सकता है कि 17 दिसंबर का नोटिस 15 दिसंबर के पहले के नोटिस का ही संदर्भ देता है। यदि हम दोनों नोटिसों को एक साथ पढ़ते हैं तो हमारी राय में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यद्यपि निष्कासन को इस तरह लिखा गया है मानो यह ईमानदारी और लगन से काम करने की उनकी इच्छा को दर्ज करने में विफलता के कारण था यह वास्तव में संबंधित श्रमिकों के धीमी गति की रणनीति के उपयोग के कारण था। 15 दिसंबर का नोटिस दो भागों में है। पहला भाग तथ्यों को उजागर करता है और बताता है कि श्रमिक सीजन की शुरुआत से और विशेष रूप से 27 नवंबर 1960 से क्या कर रहे थे। यह बताता है कि संघ के सचिव के उकसावे पर श्रमिक सीजन की शुरुआत से ही अपने गन्ना वाहक में पर्याप्त और नियमित गन्ना लादने को सुनिश्चित करने के कर्तव्य में विफल रहे थे। यह आगे आरोप लगाता है कि 27 नवंबर से उन्होंने एक-दूसरे के साथ मिलकर जानबूझकर और स्वेच्छया स्पष्ट रूप से धीमी गति का सहारा लिया, एक तथ्य जो श्रम अधीक्षक और श्रम अधिकारी, मुजफ्फरपुर की उपस्थिति में सचिव द्वारा खुले तौर पर 6 दिसंबर 1960 को सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में हुई चर्चा के दौरान स्वीकार किया

गया, कथित किया गया। फिर नोटिस में उल्लेख है कि औसत दैनिक पेराई 26,000 मन है जिसमें से 2,000 से अधिक रात के दौरान वजन की जाने वाली गन्ना गाड़ियों द्वारा गन्ना वाहक में सीधे गन्ना भरने के नए शुरू किए गए उपकरण के कारण थी और इसमें श्रमिकों का किसी भी प्रकार का प्रयास शामिल नहीं था, इस प्रकार वास्तविक पेराई व्यावहारिक रूप से 23,000 से 24,000 मन प्रतिदिन के बीच कम हो गई थी जो उस कारखाने जिसकी स्थापित पेराई क्षमता 1,200 टन प्रतिदिन अर्थात् 32,000 मन प्रतिदिन से अधिक थी के लिए अत्यधिक अलाभकारी और तकनीकी रूप से असुरक्षित था। नोटिस यह भी कहता है कि अतिरिक्त खोई की भण्डारण में आरक्षित रखी गई लगभग 14,000 गांठें पिछले बारह दिनों में पहले ही खप चुकी थी और कारखाने को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था जब किसी भी समय इसकी भट्टियों में खोई के ईंधन की कमी के कारण कारखाना अचानक बंद होने की ओर जा सकता था और अंततः इसकी मशीनों में भारी व्यवधान हो सकता था।

ये तथ्य जो 15 दिसंबर 1960 के नोटिस के पहले भाग में दिए गए थे वास्तव में उस आरोप को दर्शाते हैं जो प्रत्यर्थी संबंधित श्रमिकों के लगाकर (और यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह नोटिस न केवल सूचना-पट्ट पर लगाया गया था बल्कि प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत रूप से दिया गया था) प्रत्यर्थी ने फिर दूसरे भाग में यह क्या कार्रवाई करने हेतु विचारित था संकेत दिया। इस भाग में प्रत्यर्थी ने संबंधित श्रमिकों से कहा

कि जब तक वे स्वेच्छा से गन्ना वाहक में गन्ना भरकर जिससे कि उन्हें न्यूनतम औसत दैनिक पेराई 32,000 मन मिल सके, जिसमें अधिक या कम भराई के कारण होने वाली रुकावटें शामिल नहीं हैं, ईमानदारी और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा दर्ज नहीं करते हैं तो उन्हें अब प्रत्यर्थी द्वारा नियोजित नहीं माना जाएगा। उन्हें अपनी इच्छा दर्ज करने के लिए 17 दिसंबर 1960 को शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था जिसमें विफल होने पर वे 18 दिसंबर 1960 से बिना किसी आगामी नोटिस के प्रत्यर्थी की सेवा से निष्कासित होंगे। नोटिस के दूसरे भाग में संबंधित श्रमिकों को इस प्रकार संकेत दिया गया था कि उन्हें प्रत्येक दिन धीमी गति के आरोप से बचने के लिए कितनी पेराई करनी थी। इसने आगे संकेत दिया कि यदि संबंधित श्रमिक वांछित तरीके से वचन देने के लिए तैयार थे तो प्रत्यर्थी बीती बातों को भूल जाने के लिए तैयार था। यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनाया गया यह तरीका अन्यायपूर्ण और यहां तक कि अनुचित था, 15 दिसंबर 1960 के नोटिस के दो हिस्सों को पढना प्रदर्शित करता है कि प्रत्यर्थी की राय में प्रति दिन सामान्य गन्ना पेराई थी और प्रत्यर्थी का धीमी गति के मामले में संबंधित श्रमिकों के खिलाफ आरोप क्या था और यदि श्रमिक प्रत्यर्थी के दावे से सहमत थे तो प्रत्यर्थी क्या स्वीकार करने के लिए तैयार था। इसलिए 15 दिसंबर 1960 को दिए गए नोटिस से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने सोचा था कि गन्ना वाहक को कम या अधिक लादने के कारण होने वाली अन्य रुकावटों को छोड़कर हर दिन 32,000 मन सामान्य पेराई



होनी चाहिए। इसने 27 नवंबर 1960 से 15 दिसंबर 1960 की अवधि के लिए श्रमिकों पर इससे बहुत कम उत्पादन करने का भी आरोप लगाया हालांकि यह पहले बीती बातों को भुलाने के लिए तैयार था बशर्ते भविष्य में श्रमिक सामान्य उत्पादन देने का वचन दें। यह 15 दिसंबर 1960 के नोटिस में निहित इस आरोप की पृष्ठभूमि में ही है कि हमें 17 दिसंबर 1960 के नोटिस को पढ़ना होगा। वह नोटिस कहता है कि श्रमिक 15 दिसंबर 1960 के नोटिस के अनुसार ईमानदारी और लगन से काम करने की अपनी इच्छा को दर्ज करने में विफल हो चुके थे और इसलिए वे निष्कासित हुए जिसका अर्थ यह है कि प्रत्यर्थी श्रमिकों पर धीमी गति से काम करने का आरोप लगा रहा था जैसा कि 15 दिसंबर 1960 के नोटिस में बताया गया था और चूंकि वे भविष्य में भी सामान्य उत्पादन देने के लिए तैयार नहीं थे इसलिए उन्हें निष्कासित जा रहा था। इसलिए यद्यपि 17 दिसंबर 1960 का नोटिस अपने रूप में ऐसे पढा जाता मानो श्रमिकों को वांछित वचन न देने के कारण निष्कासित किया जा रहा था। 17 दिसंबर, 1960 के नोटिस का वास्तविक आधार धीमी गति का उपयोग है जिसे पहले ही प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत रूप से दिए गए 15 दिसंबर के नोटिस में भी दर्शित किया जा चुका था।

यह संदर्भ दोनों पक्षों के संयुक्त आवेदन पर दिया गया था। यदि श्रमिकों ने संदर्भ के लिए अपने संयुक्त आवेदन में केवल यही चाहा था कि केवल इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वचन देने से

इनकार करने के लिए श्रमिकों का निष्कासन न्यायोचित था तो श्रमिकों को संयुक्त आवेदन में इस मामले का विशेष रूप से उल्लेख किया जाने पर जोर देने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। संयुक्त आवेदन में पहला मामला जो निर्दिष्ट किया गया था वह इन शब्दों में था।

“क्या परिशिष्ट में उल्लिखित श्रमिकों का निष्कासन न्यायोचित था? यदि नहीं, तो क्या उन्हें बहाल किया जाना चाहिए और/या क्या वे किसी अन्य राहत के हकदार हैं ?”

अब यदि केवल यही वांछित था कि न्यायाधिकरण इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या इस आधार पर कि श्रमिक वचन देने में विफल रहे थे तो उनके निष्कासन की जांच की जानी चाहिए तो इस शब्द को केवल इस प्रकार संदर्भ में रखना आसान होता कि “क्या परिशिष्ट में उल्लिखित श्रमिकों को वचन देने में विफलता के आधार पर बर्खास्त करना न्यायोचित था ?” तथ्य यही है कि विवाद के रूप में निर्दिष्ट मामले को पहले से ही ऊपर उद्धृत व्यापक शब्दों में रखा गया था यह दर्शाता है कि पक्षकारान अपने विवाद को केवल इस सवाल तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे कि क्या वचन देने में विफलता के आधार पर निष्कासन न्यायोचित था। आगे हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि दोनों पक्ष इस विवाद को समझते थे कि क्या धीमी गति न्यायोचित थी या नहीं और इसीलिए न्यायाधिकरण के समक्ष भारी सबूत पेश किए गए थे। वे व्यापक शर्तें जिनमें 17 दिसंबर के नोटिस को 15 दिसंबर के नोटिस के साथ पढने हेतु संदर्भ में दिया गया था

हमारे मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि वह संदर्भ किसी भी कारण की जांच को शामिल नहीं करता जो श्रमिकों के निष्कासन का परिणाम हो सकती थी। इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि भले ही निष्कासन की सूचना इस तरह शब्दों में थी मानो वचन देने में विफलता के कारण निष्कासन किया जा रहा था लेकिन निष्कासन का असली कारण यह था कि श्रमिक 27 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच धीमी गति के दोषी थे और वे प्रत्यर्थी द्वारा बेहतर परिणाम प्रदर्शित करने के लिए सुधार करने का मौका देने के बावजूद तैयार नहीं थे। इसलिए संदर्भ के व्यापक शब्दों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इसे न्यायाधिकरण के समक्ष समझा गया था और इस तथ्य को कि इसे 15 और 17 दिसंबर 1960 के दो नोटिसों के साथ पढ़ा जाना चाहिए खासकर क्योंकि इसे इसके तुरंत बाद पक्षकारान के संयुक्त आवेदन पर लाया गया था हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण को पक्षकारान के बीच वास्तविक विवाद की जांच का अधिकार था अर्थात् क्या निष्कासन इस आधार पर न्यायोचित था कि संबंधित श्रमिकों द्वारा 27 नवंबर 1960 के बीच धीमी गति के रूप में कदाचार किया गया था इसलिए इस मद में इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

पुनः (11)

फिर हम इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या यह न्यायाधिकरण के लिए खुला था जब प्रत्यर्थी द्वारा धीमी गति के प्रश्न पर स्वयं किसी भी प्रकार

की जांच करने के लिए कोई जांच नहीं की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया कि वर्तमान मामले में न केवल कोई जांच हुई बल्कि कोई आरोप भी नहीं था। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित श्रमिकों के खिलाफ कोई आरोप नहीं था। 15 दिसंबर 1960 के नोटिस का पहला भाग जो प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत दिया गया था, निश्चित रूप से प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित श्रमिकों को यह बताते हुए आरोप था कि वे 27 नवंबर और 15 दिसंबर 1960 के बीच की अवधि के लिए धीमी गति के दोषी थे। यह सही है कि नोटिस को आरोप के रूप में नहीं लिखा गया था और इसमें यह निर्दिष्ट था कि इसके बाद जांच की जाएगी जो कि औपचारिक आरोप लगाए जाने पर एक सामान्य प्रक्रिया है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबंधित श्रमिकों को पता था कि उनके खिलाफ क्या आरोप था जो वास्तव में 18 दिसंबर 1960 से उनके निष्कासन के लिए जिम्मेदार था।

इस न्यायालय के कई निर्णयों से अब यह अच्छी तरह से तय है कि जहां एक नियोक्ता किसी श्रमिक को निष्कासन या बर्खास्त करने से पहले जांच करने में विफल हुआ है तो उसके लिए न्यायाधिकरण के समक्ष सभी प्रासंगिक साक्ष्य पेश करके कार्रवाई को न्यायोचित ठहराने का अधिकार खुला है। ऐसे मामले में नियोक्ता को वह लाभ नहीं मिलेगा जैसा उसे उन मामलों में जहां घरेलू जांच की गई हो, में मिलता। पूरा मामला न्यायाधिकरण के समक्ष खुला होगा जिसके पास न केवल उस

न्यायाधिकरण के सीमित प्रश्नों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा जहां घरेलू जांच उचित प्रकार से आयोजित की गई है (देखें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम देयर वर्कमैन) बल्कि नियोक्ता द्वारा उसके समक्ष पेश किए गए तथ्यों पर खुद को संतुष्ट भी करें कि क्या निष्कासन या बर्खास्तगी न्यायोचित थी। हम इस संबंध में मेसर्स सासा मूसा शुगर वर्क्स (पी) लिमिटेड बनाम शोबराती खान, फुलबारी टी एस्टेट बनाम इट्स वर्कमैन और पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड बनाम इट्स वर्कमैन का उल्लेख कर सकते हैं। इस अदालत द्वारा इन तीन मामलों पर भारत शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम श्री जय सिंह में विचार किया गया था और श्री राम स्वाराथ सिन्हा बनाम बेलोंड शुगर कंपनी में श्रम अपीलिय न्यायाधिकरण के निर्णय का संदर्भ भी दिया गया था। यह बताया गया था कि जांच आयोजित करने के लिए आयोग का आयात प्रभाव केवल यह था कि “न्यायाधिकरण को केवल इस पर विचार नहीं करना होगा कि क्या यह प्रथम दृष्टया मामला था, बल्कि पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह खुद तय करना था कि क्या आरोप वास्तव में लगाए गए हैं। यह सही है कि फुलबारी टी एस्टेट के मामले को छोड़कर इनमें से तीन मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 के तहत आवेदन पर थे। लेकिन सिद्धांत में हमें कोई अंतर नहीं दिखता कि क्या मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 के तहत अनुमोदन के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष आता है या धारा 10 के तहत संदर्भ पर आता है। दोनों मामलों में यदि जांच दोषपूर्ण है या यदि स्थायी आदेशों के अनुसार कोई जांच नहीं की गई है तो पूरा

मामला न्यायाधिकरण के समक्ष खुला होगा और नियोक्ता को तथ्यों के आधार पर भी न्यायोचित ठहराना होगा कि उसके निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश उचित था। फुलबारी टी एस्टेट का मामला धारा 10 के तहत इस संदर्भ में ही था और वहां पर भी यही सिद्धांत लागू किया गया था, अंतर केवल इतना था उस मामले में जांच दोषपूर्ण होने के बावजूद की गई थी। हमारी राय में एक दोषपूर्ण जांच कोई भी जांच न करने के समान पैरों पर खड़ी होती है और किसी भी मामले में न्यायाधिकरण के पास तथ्यों पर जाने का क्षेत्रिकार होगा और नियोक्ता को न्यायाधिकरण को संतुष्ट करना होगा कि तथ्यों के आधार पर निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश उचित था।

यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता अपने कर्मचारी को बिना जांच किए निष्कासित कर देता है तो औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा निष्कासन को केवल उसी आधार पर रद्द किया जाना चाहिए इसका अनिवार्य रूप से मतलब होगा कि नियोक्ता तुरंत जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा और कर्मचारी को एक बार फिर निष्कासित करने का आदेश पारित करेगा। उस मामले में एक और औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाएगा और नियोक्ता उस जांच पर भरोसा करने का हकदार होगा जो उसने इस बीच की थी। इस अवधि का मतलब देरी होगा और दूसरे अवसर पर यह नियोक्ता को प्रदत्त घरेलू जांच के लाभ का दावा करने का अधिकार देगा। दूसरी ओर यदि ऐसे मामलों में नियोक्ता को

न्यायाधिकरण के स्वयं के द्वारा विचार किये जा रहे उसके मामले के गुणों पर निष्कासन को न्यायोचित ठहराने का अवसर दिया जाता है तो यह कर्मचारी के लिए लाभकारी होगा। इसीलिए इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि यदि घरेलू जांच अनियमित, अवैध या अनुचित है तो न्यायाधिकरण नियोक्ता को अपना मामला साबित करने का अवसर दे सकता है और ऐसा करने में वह गुणों की कोशिश कर सकता है। यह दृष्टिकोण इस पहुंच के अनुरूप है जिसे औद्योगिक न्याय निर्णयन आम तौर पर तकनीकी विचारों पर बहुत अधिक भरोसा किए बिना और औद्योगिक विवादों के निस्तारण में देरी से बचने के उद्देश्य से पक्षकारान के बीच न्याय करने की दृष्टि से अपनाता है। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि उन मामलों के बीच जहां घरेलू जांच अमान्य होती है और जहां वास्तव में कोई जांच नहीं होती है कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें इस तर्क को खारिज कर देना चाहिए कि चूंकि इस मामले में कोई जांच नहीं हुई थी इसलिए प्रत्यर्थी के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष निष्कासन को न्यायोचित ठहराने का अधिकार नहीं था।

पुनः (111)

यह प्रश्न कि क्या 27 नवंबर से 15 दिसंबर 1960 की अवधि के दौरान काम करने की गति धीमी थी तथ्यात्मक प्रश्न है और न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस अवधि के दौरान काम करने की गति धीमी थी। आम तौर पर यह न्यायालय किसी न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए

गए तथ्य के निष्कर्षों पर ध्यान नहीं देता है यदि कोई विशेष कारण न हो जैसे- उदाहरण के लिए, जहां निष्कर्ष किसी सबूत पर आधारित न हो जो निश्चित रूप से यहां मामला नहीं है। हालाँकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का आग्रह है कि न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि संबंधित श्रमिक धीमी गति से काम करने के दोषी थे, विकृत है और जो सबूत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। चूँकि इस मामले में लगभग 119 श्रमिकों का निष्कासन शामिल है, इसलिए हमने यह देखने के लिए साक्ष्यों पर व्यापक रूप से गौर करने का निर्णय लिया है कि क्या न्यायाधिकरण का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है।

इस प्रयोजन के लिए हम पहले प्रत्यर्थी कारखाने के कामकाज के पिछले इतिहास का उल्लेख कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक इस न्यायालय ने भारत शुगर मिल्स के मामले में धीमी गति से काम करने की प्रथा की निंदा की थी, बिहार राज्य में श्रमिकों के लिए नियोक्ताओं को काम धीमी गति से करने का नोटिस देना असामान्य नहीं था मानो यह नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच विवाद के मामलों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वैध हथियार था। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी ने 1950 में ही शिकायत की थी कि धीमी गति का सहारा लिया जा रहा है। 1950 में इस प्रश्न की जांच के लिए एक जांच अदालत का गठन किया गया और उसने एक रिपोर्ट दी कि फरवरी-मार्च 1950 में कई दिनों तक श्रमिकों की ओर से काम में मंदी थी। यह इस निष्कर्ष पर भी



पहुंचा था कि धीमी गति को संघ के नेताओं द्वारा उकसाया और प्रायोजित किया गया था। 1951 में श्रमिकों ने अपनी मांगें पूरी न होने के मामले में काम धीमी गति से करने का नोटिस दिया था (प्रदर्श ए-1 के जरिये) इसी तरह के नोटिस 1952 में दिए गए थे ( प्रदर्श ए-2 के जरिये), 1954 में ( प्रदर्श ए-3 और ए-4 के जरिये) और 1955 में ( प्रदर्श ए-5, ए-6 और ए-7 के जरिये) और कुछ अवसरों पर धीमी गति से काम करने की धमकियों को वास्तव में मूर्त रूप दिया गया। इन नोटिसों के अतिरिक्त प्रबंधन के पास 1955, 1957 और 1958 में एक से अधिक बार यह शिकायत करने का अवसर था कि गन्ना वाहक द्वारा धीमी गति का सहारा लिया जा रहा था। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस कारखाने में धीमी गति का सहारा लेना एक आम बात थी।

यह श्रमिकों के लगातार सख्त रवैये की पृष्ठभूमि में है कि हमें यह देखना होगा कि नवंबर 1960 में क्या हुआ था। हम पहले ही इस तथ्य का उल्लेख कर चुके हैं कि श्रमिक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तावित नई प्रोत्साहन बोनस योजना से असंतुष्ट थे। इस नई योजना के गुणों की जांच करना आवश्यक नहीं जो सितम्बर 1960 में प्रस्तावित की गई थी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जब 1959-60 के सत्र में कितने गन्ने की पेराई की जाय इस प्रश्न पर विवाद हुआ तो संघ के सचिव ने सहायक श्रम आयुक्त के साथ एक सम्मेलन में स्वीकार किया था कि गन्ना पेराई की संख्या में गिरावट आई है, हालांकि उन्होंने कायम रखा कि यह अभी भी औसत पेराई है। उन्होंने

तब यह भी कहा था कि श्रमिक उस मौसम में प्रोत्साहन बोनस योजना से असंतुष्ट थे और 1956-57 में पहली बार प्रोत्साहन योजना शुरू होने के बाद वे जो अतिरिक्त प्रयास कर रहे थे उन्हें वापस ले लिया था। इसके अलावा सचिव ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया कि जब 1960-61 में बोनस योजना प्रस्तावित की गई थी तो श्रमिकों द्वारा एक बैठक में इस पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि यदि नई प्रणाली श्रमिकों की सहमति के बिना प्रस्तुत की गई तो कारखाने में वे सामान्य पेराई से अधिक पेराई करने में अपना कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे। सबूत यह भी दर्शाते हैं कि नई योजना के बारे में सम्मेलन हुए थे और एक चरण में प्रत्यर्थी ने सुझाव दिया था कि मानदंड प्रति दिन 30,000 मन पेराई होना चाहिए जबकि संघ 29,500 मन प्रतिदिन पर सहमत था। लेकिन इस संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ और इसलिए श्रमिकों ने प्रति दिन औसत सामान्य पेराई से अधिक देने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने के अपने संकल्प को पूरा किया। इस प्रकार नवंबर 1960 में शुरू हुआ सीजन श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त प्रयासों को वापस लेने के साथ शुरू हुआ जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि श्रमिक वह करने के लिए तैयार नहीं थे जो वे इस पिछले सीजन 1959-60 में कर रहे थे और 1959-60 की तुलना में वे उत्पादन धीमा कर रहे थे। यह इस इतिहास और इस स्वीकारोक्ति की पृष्ठभूमि में है कि हमें मोटे तौर पर यह देखने के लिए सबूतों पर गौर करना होगा कि क्या न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि काम की धीमी गति थी, न्यायोचित है।

इस संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से मुख्य तर्क यह है कि किसी को यह देखना जरूरी है जिसे 24 घंटे के एक दिन के लिए पेराई गति कहा जाता है और यह पेराई गति है जो यह निर्धारित करेगी कि विवाद की अवधि के दौरान गति धीमी थी। यह आग्रह किया गया है कि प्रति 24 घंटे की पेराई गति प्रति दिन वास्तविक पेराई या किसी अवधि के लिए औसत पेराई से भिन्न होती है, क्योंकि प्रति दिन वास्तविक पेराई गति जिससे पेराई गति पर पहुंचा जाता है वह कई कारकों पर निर्भर करती है, विशेष रूप से यह दिन के दौरान होने वाली रूकावट की मात्रा पर निर्भर करता है और यदि अधिक रूकावट हैं तो किसी विशेष दिन पर वास्तविक पेराई अनिवार्य रूप से कम हो जाएगी। दूसरी ओर प्रति चौबीस घंटे पेराई की गति पर रूकावट को छोड़कर पहुंचा जाता है और फिर गन्ने की मात्रा कितनी होगी इसकी गणना की जाती है यदि कोई रूकावट न होती तो 24 घंटे में पेराई कर दी जाती। आगे प्रत्यर्थी का मामला यह है कि जब उसने 15 दिसंबर 1960 को नोटिस देकर 32,000 मन प्रतिदिन पेराई की मांग की थी तो इसका वास्तव में मतलब था कि श्रमिकों को इस तरह से काम करना चाहिए कि प्रतिदिन 32,000 मन पेराई गति प्रदान कर सके। हालाँकि नोटिस में वास्तव में “पेराई गति” शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। तथापि यह बताया गया है कि जब नोटिस में प्रति दिन अपेक्षित सामान्य पेराई के रूप में गन्ना वाहक के अधिक लादने या कम लादने के कारण होने वाली रूकावट को छोड़कर 32,000 मन का उल्लेख किया गया है। इसलिए प्रत्यर्थी श्रमिकों से प्रति दिन 32,000 मन की पेराई गति

चाहता था जिसमें रुकावटें शामिल नहीं होंगी जिसमें रुकावटों का एकमात्र अपवाद अधिक लादना या कम लादना रहा जो प्रत्यर्थी के अनुसार गन्ना वाहक श्रमिकों के द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण है। हमें लगता है कि प्रत्यर्थी ने जब औसत दैनिक पेराई 32,000 मन की सूचना दी से उसका क्या मतलब था इसकी व्याख्या तार्किक है, क्योंकि यह स्वीकार करना असंभव है कि रुकावट के बावजूद 32,000 मन पेराई की आवश्यकता थी श्रमिकों के नियंत्रण से परे हो। आगे इसमें कोई विवाद नहीं है कि इन सभी वर्षों में श्रम शक्ति न्यूनाधिक एक जैसी थी और इसलिए हमें यह देखना होगा कि 27 नवंबर से 15 दिसंबर 1960 की अवधि के दौरान पेराई गति में कोई महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। यदि इतनी बड़ी गिरावट हुई तो वह केवल धीमी गति से चलने की रणनीति के कारण हो सकती थी जिसे शिष्टोक्ति से अतिरिक्त प्रयासों को वापस लेना कहा गया है।

इसलिए इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए इस मामले में प्रस्तुत चार्ट को देखना आवश्यक है। याचिकाकर्ता मुख्य रूप से चार्ट प्रदर्श डब्ल्यू-3 पर टिके हैं। हालाँकि यह 1954-55 से 1960-61 की अवधि के दौरान प्रति दिन वास्तविक पेराई का एक चार्ट है और इसका पेराई गति से कोई लेना-देना नहीं है जो हमारी राय में यह पता लगाने में निर्णायक कारक होगा कि क्या गति धीमी थी। वास्तविक पेराई कई कारकों के कारण अलग-अलग हो सकती है जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, विशेष रूप से

किसी न किसी कारण से रूकावटों के कारण। प्रत्यर्थी ने एक अन्य चार्ट प्रदर्श डब्ल्यू-4 प्रस्तुत किया जो 1954-55 से 1959-60 तक पूरे सीजन के लिए पेराई गति को दर्शाता है। हम मानते हैं कि 1956-57 से 1959-60 तक के वर्षों के आंकड़े लेना उचित नहीं होगा जिन वर्षों में प्रोत्साहन बोनस योजनाएँ लागू थी और जो श्रमिकों के अनुसार अतिरिक्त प्रयास का परिणाम हुई। लेकिन 1954-55 और 1955-56 के आंकड़े प्रासंगिक होंगे क्योंकि इन वर्षों में कोई प्रोत्साहन बोनस योजना नहीं थी और न ही गाड़ियों का रात्रि में वजन होता था। श्रमिकों ने गन्ने की पेराई, वास्तविक पेराई दिन और प्रति दिन पेराई को दर्शाने वाला एक चार्ट भी प्रस्तुत किया है लेकिन यह चार्ट पेराई की गति नहीं दर्शाता है और रूकावटों को ध्यान में नहीं रखता है। यह केवल कार्य दिवसों की वास्तविक संख्या और प्रति दिन का औसत दर्शाता है। हालाँकि यह पता लगाने का सटीक तरीका नहीं होगा कि जिस अवधि को लेकर हम विचार कर रहे हैं उस दौरान वास्तव में कोई धीमी गति थी। प्रत्यर्थी का चार्ट प्रदर्श डब्ल्यू-4 वास्तविक पेराई की समान मात्रा दर्शाते हुए यह भी दर्शाता है कि पेराई की गति रूकावट को छोड़कर प्रति 24 घंटे कितनी होगी। हमारी राय में यह चार्ट यह निर्धारित करने के लिए न्यायोचित चार्ट है कि क्या संदर्भित अवधि के दौरान गति धीमी थी। अब इस चार्ट (प्रदर्श डब्ल्यू-4) के अनुसार प्रोत्साहन बोनस और गाड़ियों की रात्रि तौल के बिना 1954-55 में दैनिक औसत पेराई गति 29,784 मन थी और 1955-56 में 30,520 मन थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 1959-60 मौसम के मध्य से रात में गाड़ियों का वजन तौलना शुरू हुआ और इसमें

कोई विवाद नहीं है कि वही दैनिक पेराई में वृद्धि का परिणाम हुई और प्रत्यर्थी द्वारा इस वृद्धि को प्रति दिन 2,000 मन से अधिक पर रखा गया है, संघ के सचिव ने स्वीकार किया कि यह प्रतिदिन लगभग 2,500 मन की वृद्धि का परिणाम होगी। हम पहले ही कह चुके हैं कि वर्ष 1954 और 1955 में कोई प्रोत्साहन बोनस नहीं था और यदि इन आंकड़ों को प्रति दिन औसत पेराई गति देने के रूप में स्वीकार किया जाता है (जब कोई प्रोत्साहन बोनस नहीं था और रात में गाड़ियों का वजन नहीं होता था) तो हमारी राय में यह स्वीकार करना अनुचित नहीं होगा कि रात में गाड़ियों के वजन के साथ पेराई की गति प्रति दिन 32,000 मन के आसपास होगी, इस स्वीकारोक्ति के मद्देनजर कि गाड़ियों में रात का वजन लगभग 2,000 मन से लेकर 2,500 मन प्रति दिन तक की वृद्धि का परिणाम हुआ। इसलिए जब प्रत्यर्थी ने 15 दिसंबर 1960 को नोटिस दिया कि प्रतिदिन औसत पेराई रूकावट को छोड़कर 32,000 मन होनी चाहिए (गन्ना वाहक के अधिक लादने या कम लादने को छोड़कर जिसके लिए श्रमिक जिम्मेदार होंगे) यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी ने कुछ ऐसा तय किया था जो असामान्य था। यह सच है कि जब वर्ष 1960-61 के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना के संबंध में बातचीत हो रही थी तो प्रत्यर्थी प्रति दिन 30,000 मन की पेराई गति को स्वीकार करने के लिए तैयार था जिसके ऊपर प्रोत्साहन बोनस योजना लागू होगी। हालाँकि इसे आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि एक उचित प्रोत्साहन बोनस योजना हमेशा एक मानदंड तय करती है जो औसत से थोड़ा कम होती है ताकि औसत से अधिक उत्पादन करने

के लिए श्रम को अधिक प्रोत्साहन मिल सके। फिर भी जब 1960-61 के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना श्रमिकों को स्वीकार्य नहीं थी और उन्होंने पहले से ही जिसे वे अतिरिक्त प्रयास कहते थे, को वापस लेने का फैसला कर लिया था तो प्रत्यर्थी द्वारा उत्पादन के आधार पर वर्ष 1954-55 और 1955-56 में पूर्ण औसत पेराई गति की मांग करना अनुचित नहीं होगा जब कोई प्रोत्साहन बोनस योजना और गाड़ियों का रात्रिकालीन वजन नहीं था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि प्रति 24 घंटे में 32,000 मन की पेराई गति पर सही ढंग से नहीं पहुंचा गया है क्योंकि इसमें प्रति पारी में आधे घंटे के आराम को ध्यान में नहीं रखा गया है जो कि 1948 के कारखाना अधिनियम, संख्या 63 के धारा 55(1) के तहत स्वीकार्य है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के अनुसार पेराई गति की प्रति दिन साढ़े बाई घंटे पर गणना की जानी चाहिए और तब पेराई 1/16 वें भाग तक कम होगी और केवल प्रति दिन 30,000 मन तक आएगी। इस संबंध में भरोसा कारखाना अधिनियम की धारा 55(2) पर किया गया है जो निर्धारित करती है कि “राज्य सरकार.....लिखित आदेश द्वारा और उसमें निर्दिष्ट कारणों से किसी भी कारखाने को उप-धारा (1) के प्रावधानों से छूट दे सकती है हालाँकि एक श्रमिक द्वारा बिना अंतराल के काम किए गए घंटों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होती है। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि श्रमिक किसी भी स्थिति में प्रति पारी में आधे घंटे के

आराम के हकदार थे क्योंकि पारी आठ घंटे के लिए थी। दूसरी ओर प्रत्यर्थी कारखाना अधिनियम की धारा 64(2)(डी) पर निर्भर करता है और इसका मामला यह है कि राज्य सरकार ने चीनी कारखानों के संबंध में उस प्रावधान के तहत नियम बनाए थे जो उस पर लागू होते हैं। धारा 64(2) (डी) इन शब्दों में है-

“राज्य सरकार कारखानों में वयस्क श्रमिकों के संबंध में छूट प्रदान करने वाले नियम ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं बना सकती है--“

(डी) किसी भी कार्य में लगे श्रमिकों के संबंध में जिन्हें तकनीकी कारणों से धारा 51, 52, 54, 55 और 56 के प्रावधानों के तहत से लगातार जारी रखा जाना आवश्यक है।“

हमारी राय है कि यह धारा 64(2)(डी) का प्रावधान एक विशेष प्रावधान होने के कारण धारा 55 की दोनों उपधाराओं (1) और (2) को प्रत्यादिष्ट कर देगा क्योंकि यह राज्य सरकार को कुछ प्रकार के कारखानों को संपूर्ण धारा 55 के प्रयोग से छूट देने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन और उस सीमा तक जो नियम प्रदान कर सकते हैं नियम बनाने की शक्ति देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1950 में बिहार सरकार द्वारा इस संबंध में नियम बनाए गए थे जिसके द्वारा चीनी कारखानों को गन्ने की संभाल और पेराई सहित अन्य प्रयोजनों के उद्देश्यों के लिए धारा 55 के आवेदन से, इस शर्त के अधीन कि संबंधित श्रमिकों को उनके रोजगार के स्थान पर या



विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए आरक्षित कमरे में या कारखाने में प्रदान की गई कैंटीन में चार घंटे से अधिक की किसी भी अवधि के दौरान एक बार हल्का जलपान या भोजन लेने की अनुमति दी जाएगी, छूट दी गई थी। इस प्रकार गन्ना पेराई कार्यों को उपरोक्त शर्तों के अधीन धारा 55(1) और 55(2) से छूट दी गई है। हम धारा 64(5) का भी उल्लेख कर सकते हैं जो निर्धारित करता है कि इस धारा के तहत बनाए गए नियम तीन साल से अधिक समय तक लागू नहीं रहेंगे। जिन नियमों का संदर्भ दिया गया है वे 1950 के हैं लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इन नियमों को हर तीन साल के अंतराल के बाद जारी नहीं रखा गया था और यह स्थिति कि इन नियमों में प्रदान की गई छूट अब भी चीनी कारखानों पर लागू होती है विवादित नहीं थी। इसलिए हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि बिहार में चीनी कारखानों पर छूट लागू थी। इसके मद्देनजर श्रमिक प्रति पारी आधे घंटे के आराम का दावा नहीं कर सकते हैं जैसा कि उनकी ओर से आग्रह किया गया है, हालांकि कुछ समय के लिए जलपान या हल्के भोजन की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि छूट देने वाले प्रावधान में प्रदान किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक पारी में प्रत्येक व्यक्ति को हल्के जलपान या भोजन के लिए बारी-बारी से कुछ मिनटों की अनुमति दी जाएगी ताकि काम न रुके। यदि हम इस संबंध में आधे घंटे या उससे अधिक का कुल भत्ता बनाते हैं तो औसत पेराई गति प्रति दिन 31,000 मन से थोड़ी कम हो जाएगी और याचिकाकर्ता धारा

64(2)(डी) के तहत छूट के मद्देनजर इतना ही समायोजन का दावा कर सकते हैं।

आइए अब 27 नवंबर और 15 दिसंबर 1960 के बीच की वास्तविक स्थिति की ओर मुड़ें। यह चार्ट प्रदर्श डब्ल्यू-7 से प्रकट होगा। वह चार्ट 10 से 26 नवंबर तक प्रति दिन 29,859 मन की पेराई की गति को दर्शाता है जब प्रत्यर्थी के अनुसार केवल काम करने की हल्की-धीमी गति थी। हालाँकि हम 27 नवंबर से 15 दिसंबर 1960 की अवधि के बारे में विचार करते हैं और उस अवधि के दौरान 24 घंटों के लिए पेराई गति 27,830 थी। अब यदि हम बिना किसी समायोजन के प्रति 24 घंटे में औसत पेराई गति 32,000 मन या धारा 55 से छूट से संबंधित नियम का पालन करते हुए समायोजन के साथ 31,000 मन से थोड़ा अधिक लेते हैं तो इस अवधि के दौरान औसत पेराई गति में निश्चित रूप से उल्लेखनीय गिरावट है। आगे हम पाते हैं कि 10 से 26 नवंबर 1960 के बीच की अवधि की तुलना में भी एक महत्वपूर्ण गिरावट आई है यहाँ तक कि यह गिरावट प्रति दिन 2,000 मन से अधिक थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण अपने निष्कर्ष में गलत था कि 27 नवंबर से 15 दिसंबर की अवधि के दौरान गति धीमी रही थी। यह जोड़ा जा सकता है कि जब पेराई गति और श्रम शक्ति न्यूनाधिक होने के आधार पर तुलना की जाती है जैसा कि यहां मामला है तो बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन कारकों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है वे बिल्कुल भी

मायने नहीं रखते हैं। भले ही हम 30,000 मन के आंकड़े को पेराई गति के रूप में लें जिसे प्रत्यर्थी ने प्रोत्साहन बोनस योजना पर चर्चा के समय सामने रखा था हम पाते हैं कि यद्यपि 10 नवंबर से 26 नवंबर की अवधि के दौरान बहुत अधिक अंतर नहीं था 27 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रति दिन 2,000 मन से अधिक की महत्वपूर्ण गिरावट थी। इस मामले को व्यापक रूप से देखते हुए और वे सब जो हम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम न्यायाधिकरण के तथ्य के निष्कर्ष की जांच कर रहे हैं हम यह नहीं कह सकते कि इसका यह निष्कर्ष कि 27 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच गति धीमी थी, न्यायोचित नहीं है।

अंत में, यह आग्रह किया जाता है कि श्रमिकों को 15 दिसंबर को नोटिस दिया गया था और उन्हें नोटिस में वांछित आवश्यक उत्पादन देने का अवसर दिए बिना 17 दिसंबर, 1960 को निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है कि 15 दिसंबर के नोटिस में आरोप यह था कि श्रमिक 27 नवंबर से धीमी गति से काम कर रहे थे और उन्हें सुधार करने का वचन देने के लिए कहा गया था और प्रत्यर्थी स्पष्ट रूप से पहले की चूक को नजरअंदाज करने को तैयार था। यह मानते हुए कि वचन देने की मांग अनुचित थी तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिकों का व्यवहार ऐसा था कि वे इससे बेहतर कुछ नहीं करेंगे और उन परिस्थितियों में उन्हें 27 नवंबर और 16 दिसंबर 1960 के बीच हुए कदाचार के आधार पर 17 दिसंबर 1960 को निष्कासित कर दिया गया

था। उस कदाचार को न्यायाधिकरण ने साबित कर दिया है और हमारी राय में न्यायाधिकरण का यह निर्णय गलत नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में न्यायाधिकरण का इस निष्कर्ष पर पहुंचना न्यायोचित था कि निष्कासन पूर्ण रूप से न्यायोचित था।

इस प्रकार मामले को देखते हुए याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में हम पक्षकारान को अपना खर्चा स्वयं वहन करने का आदेश देते हैं।

याचिका खारिज।

नोट:- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री दीपक कुमार सोनी आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।